**फाइल नं0-71-1002/19/2022**

**109/2023/I/363815/2023**

**प्रेषक,**

**एस0 पी0 सिंह,**
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनॉक 07 अगस्त, 2023**

**विषय:-केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज यथा- आजमगढ़, जालौन, बांदा, प्रयागराज, मेरठ, आगरा तथा गोरखपुर में पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-48/2023/I293864/2023-71-1002/19/2022, दिनांक 27.03.2023 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों में पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष निम्नानुसार कॉलेजों हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए राज्यांश के रूप में धनराशि अवमुक्त की गयी:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | मेडिकल कालेज का नाम | स्वीकृत पी0 जी0 सीटों की संख्या | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश(40 प्रतिशत) की धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मेडिकल कालेज , आजमगढ़ | 30 | 36.00 | 14.40 |
| 2 | मेडिकल कालेज , जालौन | 05 | 5.99 | 2.396 |
| 3 | मेडिकल कालेज , बांदा | 13 | 9.35 | 3.74 |
| 4 | मेडिकल कालेज , सहारनपुर | 08 | 2.072 | 0.8288 |
| 5 | मेडिकल कालेज , प्रयागराज | 49 | 58.8 | 23.52 |
| 6 | मेडिकल कालेज , मेरठ | 31 | 37.20 | 14.88 |
| 7 | मेडिकल कालेज , आगरा | 48 | 57.60 | 23.04 |
| 8 | मेडिकल कालेज , गोरखपुर | 14 | 16.80 | 6.72 |
| | | | **योग-** | **89.5248** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उक्त योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष निम्नानुसार कॉलेजों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष निम्नानुसार केन्द्रांश के रूप में धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

| क्र0 सं0 | मेडिकल कालेज का नाम | स्वीकृत पी0 जी0 सीटों की संख्या | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत | अनुमोदित लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश (60 प्रतिशत) | अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आजमगढ़ | 30 | 36.00 | 21.60 | 8.64 |
| 2 | जालौन | 05 | 5.99 | 3.594 | 1.44 |
| 3 | बांदा | 13 | 9.35 | 5.61 | 2.24 |
| 4 | प्रयागराज | 08 | 58.80 | 35.28 | 14.11 |
| 5 | मेरठ | 49 | 37.20 | 22.32 | 8.93 |
| 6 | आगरा | 31 | 57.60 | 34.56 | 13.82 |
| 7 | गोरखपुर | 48 | 16.80 | 10.08 | 4.03 |
| | | | | 133.044 | 53.21 |

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.06.2022 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेजों में पी0जी0 सीट की वृद्धि हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित की जायेगी। कालेजो को उक्त धनराशि का हस्तान्तरण शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के के सापेक्ष किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश एंव राज्यांश की धनराशि को शासन द्वारा अग्रिम आदेशों के उपरांत ही व्यय की जायेगी।
5. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रूपये 33,21,00,000 (रूपये तैंतीस करोड़ इक्कीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखाशीर्षक 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि (के.60-रा.40/के.)

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य ( 2 ) रुपये 20,00,00,000 ( रुपये बीस करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि (के.60-रा.40/के.) मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-89 /दस-2023-24, दिनांक 01 अगस्त, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**( एस0 पी0 सिंह )**
उप सचिव

**संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आजमगढ़, जालौन, बांदा, प्रयागराज, मेरठ, आगरा तथा गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आजमगढ़, जालौन, बांदा, प्रयागराज, मेरठ, आगरा तथा गोरखपुर।
5. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़, जालौन, बांदा, प्रयागराज, मेरठ, आगरा तथा गोरखपुर।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(एस0 पी0 सिंह)**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in